



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 18 दिसम्बर, 2025 ई०

(अग्रहायण 27, 1947 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-1837/दस-लाइसेंस-58/देशी शराब थोक-नियमावली/2025-2026

प्रयागराज, दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि०-76

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस-लाइसेंस-58/2002-2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)

(अठारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (अठारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

2. नियम-2 का संशोधन- उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, में नीचे स्तम्भ-एक में, दिये गये विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
2-परिभाषायें-	2-परिभाषायें-
जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो , इस नियमावली में,	जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो , इस नियमावली में,
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 से है	(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्ते आबकारी अधिनियम 1910 से है
(ख) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य को दो रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्त की धनराशि से है जो , आवसनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक पूर्तिकर्ता से एकसू डिस्टेलरी प्राइस के अतिरिक्त प्रभार्य होगी एवं जो थोक पूर्तिकर्ता द्वारा देशी मदिरा के फुटकर लासेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त प्रभार्य होगी।	(ख) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य को दो रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्त की धनराशि से है जो , आवसनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक पूर्तिकर्ता से एकसू डिस्टेलरी प्राइस के अतिरिक्त प्रभार्य होगी एवं जो थोक पूर्तिकर्ता द्वारा देशी मदिरा के फुटकर लासेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अतिरिक्त प्रभार्य होगी।
(ग) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1913 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है	(ग) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम 1913 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है
(घ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी मदिरा की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।	(घ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी मदिरा की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।
(ङ) "देशी स्पिरिट" 25 प्रतिशत व 36 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) और 42.8 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) के रूप में ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता के एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से विनिर्मित देशी स्पिरिट और उत्तर प्रदेश विनिर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) (मसाला सहित) भी सम्मिलित है , जिसमें ऐसी मद्यसारिक सांद्रता होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत किया जाय।	(ङ) "देशी स्पिरिट" 25 प्रतिशत (सुवासित), 36 प्रतिशत (मसाला), 28 प्रतिशत (मसाला) और 42.8 प्रतिशत (मसाला) के रूप में ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता के एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से विनिर्मित देशी स्पिरिट और उत्तर प्रदेश विनिर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) (मसाला सहित) भी सम्मिलित है , जिसमें ऐसी मद्यसारिक सांद्रता होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत किया जाय।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(च) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,	(च) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,
(छ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) से है और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं,	(छ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियों) से है और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं,
(ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,	(ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,
(झ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो	(झ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो
(ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा -24 के अधीन देशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा , उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय,	(ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा -24 के अधीन देशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा , उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय,
(ट) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है	(ट) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है
(ठ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम , 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है,	(ठ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम , 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है,
(ड) "पोर्टल" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म , जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है,	(ड) "पोर्टल" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म , जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है,
(ढ) "प्रतिभूति धनराशि " का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है , जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई -पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी,	(ढ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है , जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत होगी , ई-बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की जाएगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी,

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,	परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,
(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,	(ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,
(त) "उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू0पी0एम0एल0)"-ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्पिरिट सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।	(त) "उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू0पी0एम0एल0)"-ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्पिरिट सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।

3. नियम-4 का संशोधन- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4-लाइसेंस की स्वीकृति	4-लाइसेंस की स्वीकृति
(1)(क) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस , आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण -पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई -भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि / सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई -पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी 0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।	(1)(क) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस , इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण -पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई -भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि ई-बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करने पर प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।

स्तम्भ-एक
विद्यमान नियम

(ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यक्षीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

अनुज्ञापी को इस आशय का रु .10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि:-

(एक) वह सम्बन्धित वर्ष हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(दो) उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है; और

(तीन) वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा , जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा अनुज्ञापन निमित्त सम्बन्धित की जमा प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष हेतु जमा नवीकरण एवं लाइसेंस फीस, राज्य सरकार के पक्ष में जब्ता कर ली जायेगी।

स्तम्भ-दो
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी **मदिरा** की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यक्षीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

लाइसेंसधारी को इस आशय का रु .10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि:-

(एक) वह सम्बन्धित वर्ष हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके **लाइसेंस** के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(दो) उक्त थोक **लाइसेंस** के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है; और

(तीन) वर्तमान **लाइसेंस** को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा , जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा **लाइसेंस** निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। **लाइसेंस** की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा **लाइसेंस** निमित्त सम्बन्धित की जमा प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष हेतु जमा नवीकरण एवं लाइसेंस फीस, राज्य सरकार के पक्ष में जब्ता कर ली जायेगी।

स्तम्भ-एक**विद्यमान नियम**

थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के अनुज्ञापियों में से आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, निर्धारित शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

प्रतिभूति का अंतर निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर रु.2000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ -पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी सम्बन्धित वर्ष की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

स्तम्भ-दो**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

थोक **लाइसेंस** अथवा बाण्ड **लाइसेंस** के **लाइसेंसधारियों** में से आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु इच्छुक **लाइसेंसधारी** द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, निर्धारित शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर **लाइसेंस** प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक **लाइसेंसधारी** को संबंधित **लाइसेंस** की हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि **लाइसेंसधारी** द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

प्रतिभूति का अंतर निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर रु.2000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

लाइसेंसधारी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ -पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी सम्बन्धित वर्ष की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं आगामी वर्ष की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी , जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र , यदि विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।	नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी , जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र , यदि विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।
(2) लाइसेंसधारी को , किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।	(2) लाइसेंसधारी को , किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

4. नियम-6 का संशोधन - उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
6-लाइसेंस हेतु पात्रता:- (1) देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये देशी शराब उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा। (2) देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगा:- (क) भारत का नागरिक हों। अथवा भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जो भारत के नागरिक हों।	6-लाइसेंस हेतु पात्रता:- (1) देशी मदिरा के थोक बिक्री की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा। (2) देशी मदिरा के थोक बिक्री की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगा:- (क) भारत का नागरिक हों। अथवा भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जो भारत के नागरिक हों।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में कोई परिवर्तन अनुज्ञा न होगा, किन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र(यदि कोई हो) के अनुसार भागीदार का नाम परिवर्तित किया जायेगा, निकटरूप सम्बरन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक के रूप में बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित अधिमानी क्रम के अनुसार विचार किया जायेगा। परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।	(3) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में कोई परिवर्तन अनुज्ञा न होगा, किन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र(यदि कोई हो) के अनुसार भागीदार का नाम परिवर्तित किया जायेगा, निकटरूप सम्बरन्धियों के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक के रूप में बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित अधिमानी क्रम के अनुसार विचार किया जायेगा। परन्तु यह और कि दोजीवित लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंसों का नवीकरण जिनका पूर्व वर्षों से नवीकरण किया गया है, लाइसेंस का नवीकरण तभी किया जायेगा जब दोनों लाइसेंसधारी नवीकरण के लिए सहमत हो ऐसी सहमति न होने की दशा में नवीकरण अनुज्ञेय नहीं होगा। परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) आवेदक, आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। (5) (एक) आवेदक राज्य में देशी शराब , विदेशी मदिरा , बीयर तथा माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो; (दो) आवेदक, ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र का धारक हो और उसकी ऋणशोधन क्षमता संबंधित लाइसेंस के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए। (6) आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:-	परन्तु यह और कि दो लाइसेंसधारियों के थोक लाइसेंस के मामले में जिनका पूर्व वर्षों में नवीकरण किया गया है , यदि किसी एक ऐसे लाइसेंसधारी की नवीकरण से पूर्व मृत्यु हो जाती है और उसके विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिनी द्वारा आवेदन पत्र दिया जाता है अथवा यदि वह अनुपयुक्त पाया जाता है तो आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस का नवीकरण किये जाने की अनुमति आगामी वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक तक लाइसेंस की सम्पूर्ण प्रतिभूति धनराशि जमा करने की शर्त के साथ अन्य उत्तिरजीवी लाइसेंसधारी के पक्ष में किये जाने की अनुमति दी जायेगी। वर्ष के अंत में पूर्व वर्ष हेतु जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार लौटा दी जायेगी। (4) आवेदक, आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। (5) (एक) आवेदक राज्य में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा , बीयर तथा माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो; (दो) आवेदक, ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र का धारक हो और उसकी ऋणशोधन क्षमता संबंधित लाइसेंस के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए। (6) आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) यह कि समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।	(एक) यह कि समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।
(दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों और आसवनी के प्रबन्धकों/निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम , 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों और आसवनी के प्रबन्धकों/निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम , 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।
(चार) यह कि आवेदक सम्बन्धित जिला के जिला कलक्टर/सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्तक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी ,जो सहायक पुलिस आयुक्तम से अनिम्न रैंक का हो , द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करते समय प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है;	(चार) यह कि आवेदक सम्बन्धित जिला के जिला कलक्टर/सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्तक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी ,जो सहायक पुलिस आयुक्तम से अनिम्न रैंक का हो , द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करते समय प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है;

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा , जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो , जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस का संदाय करके अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और इसे अन्वेष अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।	(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा , जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो , जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस का संदाय करके अपने प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और इसे अन्वेष अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।	(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।
(सात) यह कि वह ऋणशोधनक्षम है , और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है , जिसका ब्यौरा , यदि अपेक्षित होगा , तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधनक्षम है , और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है , जिसका ब्यौरा , यदि अपेक्षित होगा , तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5. नियम-7 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
7- लाइसेंस का जारी किया जाना:- लाइसेंस, प्रपत्र सी.एल. 2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से , और आबकारी आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर जिलावार की जायेगी।	7- लाइसेंस का जारी किया जाना:- लाइसेंस, प्रपत्र सी.एल. 2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से , और आबकारी आयुक्त , उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि ई-बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करने पर जिलावार प्रदान किये जायेंगे॥

6. नियम-8 का संशोधन--उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8-देशी शराब की आपूर्ति:- लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियाँ, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाइसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य राज्यों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी 0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से, आबकारी शुल्क और ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से ई -पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् उपास करेगा।	8-देशी शराब की आपूर्ति:- लाइसेंसधारी देशी मदिरा की आपूर्तियाँ, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाइसेंस प्राप्त निर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य राज्यों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी 0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से, आबकारी शुल्क और ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हो, के अग्रिम रूप से ई -पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् उपास करेगा।

7. प्रपत्र सी.एल. 2 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र सी 0एल0-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक	स्तम्भ-दो				
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम				
सी.एल. 2 (जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस) (नियम-2(ड))	सी.एल. 2 (जिला में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस) (नियम-2(ड))				
<table><tr><td>आवेदक का फोटो</td><td>सह आवेदक का फोटो</td></tr></table>	आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो	<table><tr><td>आवेदक का फोटो</td><td>सह आवेदक का फोटो</td></tr></table>	आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो				
आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो				
<table><tr><td>लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो</td></tr></table>	लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो	<table><tr><td>लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो</td></tr></table>	लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो		
लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो					
लाइसेंस प्राप्त परिसर का फोटो					

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
सी0एल0-2 परिसर का अक्षांश/देशान्तर	सी0एल0-2 परिसर का अक्षांश/देशान्तर
1-लाइसेंस संख्या.....	1-लाइसेंस संख्या
2-जिला.....	2-जिला
3-लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों का नाम , पूरा पता एवं आधार संख्या (एक)..... (दो).....	3-लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों का नाम , पूरा पता एवं आधार संख्या (एक) (दो)
4-सी0एल0-2 लाइसेंस की संख्या और दिनांक.....	4-सी0एल0-2 लाइसेंस की संख्या और दिनांक
5-लाइसेंस शुल्क (रुपये में) अंक में शब्द में	5-लाइसेंस शुल्क (रुपये में) अंक में शब्द में
6-प्रतिभूति जमा (रुपये में) अंक में शब्द में	6-प्रतिभूति जमा (रुपये में) अंक में शब्द में
7-लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण स्थान और मकान संख्या तहसील पुलिस थाना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम	7-लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण स्थान और मकान संख्या तहसील पुलिस थाना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
100 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर की क्षमता वाली काँच की बोतलों में 42.8% वी./वी. (सादा, सुवासित और मसाला), 25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत वी/वी (सादा, सुवासित और मसाला) की पेट बोतलों तथा 200 मिलीलीटर की क्षमता वाली टेद्रा पैक एवं उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) की नियत तीव्रता की तीक्ष्ण देशी शराब की थोक विक्रय के लिये लाइसेंस , जिला में (स्थान) पुलिस थाना तहसील के लिये दिनांक से 31 मार्च, 20 तक के लिये, जिसके लिये नियम-7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है , एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।	200 मिलीलीटर की धारिता वाली टेद्रा पैक में ई0एन0ए0 से निर्मित 25 प्रतिशत (सुवासित), 36 प्रतिशत (मसाला) तथा ग्रेन ई0एन0ए0 निर्मित यू0पी0एम0एल0 की 28 प्रतिशत (मसाला) तथा 42.8 प्रतिशत (मसाला) एवं उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू0पी0एम0एल0) की नियत तीव्रता की तीक्ष्ण देशी मदिरा की थोक विक्रय के लिये लाइसेंस, जिला में (स्थान) पुलिस थाना तहसील के लिये दिनांक से 31 मार्च, 20 तक के लिये, जिसके लिये नियम -7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है , एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-16 के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों को लाइसेंस के रद्दकरण हेतु दायी होगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहत कर ली जायेगी।	यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-16 के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों को लाइसेंस के रद्दकरण हेतु दायी होगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहत कर ली जायेगी।
निबन्धन एवं शर्तें - लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की पेट /ग्लास बोतलों /ट्रेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी शराब के बंधित गोदामों अर्थात् बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों ,जो समय -समय पर उद्ग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई -पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा। - लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा। - थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबन्धों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिला के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम -10 के उप खण्ड (1), (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार करेगा।	निबन्धन एवं शर्तें - लाइसेंसधारी देशी मदिरा की आपूर्तियों , आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की ट्रेट्रा पैक्स में देशी मदिरा के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों ,जो समय -समय पर उद्ग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई -पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा। - लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी मदिरा के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा। - थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबन्धों के अधीन देशी मदिरा का विक्रय जिला के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम -10 के उप खण्ड (1), (2) और (3) के उपबन्धों के अनुसार करेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. थोक विक्रेता को देशी शराब की निकासी, पी0डी0-25 ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा। 5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय और दिनांक एवं आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, और ऐसी सूचनाओं को उत्तर प्रदेश आबकारी ऑनलाइन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। 6. लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत बिक्रीकर्ता, प्रति दिन देशी शराब की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका एवं फुटकर बिक्रीकर्ता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) के माध्यम से यू 0पी0 एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। 7- देशी शराब के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा। 8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी शराब की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी मदिरा की आपूर्ति नियमावली 2002 (यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तों के नियम -8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी मदिरा आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।	4. थोक विक्रेता को देशी मदिरा की निकासी, पी0डी0-25 ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा। 5. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय और दिनांक एवं आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, और ऐसी सूचनाओं को उत्तर प्रदेश आबकारी ऑनलाइन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। 6. लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत बिक्रीकर्ता, प्रति दिन देशी मदिरा की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका एवं फुटकर बिक्रीकर्ता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) के माध्यम से यू 0पी0 एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। 7- देशी मदिरा के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा। 8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी मदिरा की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी मदिरा की आपूर्ति नियमावली 2002 (यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तों के नियम -8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी मदिरा आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जब्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक माँग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और माँग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। 10. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर नियम -11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा एवं प्रतिफल शुल्क अंकित होगा। 11. देशी शराब का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नहीं करेगा। 12. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी मदिरा की पेट/ग्लास बोतलों/ट्रेट्रा पैक्स ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी। 13. लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा। 14. थोक विक्रेता को किसी प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा। 15. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।	9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक माँग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और माँग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। 10. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर नियम -11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा एवं प्रतिफल शुल्क अंकित होगा। 11. देशी मदिरा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नहीं करेगा। 12. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी मदिरा की ट्रेट्रा पैक्स ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी। 13. लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा। 14. थोक विक्रेता को किसी प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा। 15. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
16. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया - कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। 17. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:- “परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।” 18. लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा। 19. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।	16. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया - कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। 17. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:- “परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।” 18. लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा। 19. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, जो किसी अपराधिक पृष्ठ-भूमिका का हो, जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी अधिकृत बिक्रीकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 21- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सक्रिय सी 0सी0टी0वी0 कैमरा लगायेगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके। 22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा। 23- उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी 0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्त वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। 24- लाइसेंसधारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा। 25- दुकानवार, धारिता व तीव्रतावार, ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट/कांच की बोतलों और टेट्रा पैक्स के उठान का विवरण विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा। 26- लाइसेंसधारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा। 27- फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।	20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, जो किसी अपराधिक पृष्ठ-भूमिका का हो, जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी अधिकृत बिक्रीकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 21- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सक्रिय सी 0सी0टी0वी0 कैमरा लगायेगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके। 22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा। 23- उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी 0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्त वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा। 24- लाइसेंसधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा। 25- दुकानवार, धारिता व तीव्रतावार, ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट/कांच की बोतलों और टेट्रा पैक्स के उठान का विवरण विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा। 26- लाइसेंसधारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा। 27- फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।

स्तम्भ-एक विद्यमान नियम	स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
28-लाइसेंसधारी न्यूनतम एक सप्ताह के स्टॉक की आवश्यकता के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।	28-लाइसेंसधारी न्यूनतम एक सप्ताह के स्टॉक की आवश्यकता के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।
29-लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा -डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड , भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ -साथ नकद रूप में कराई जायेगी।	29-लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा -डेबिट कार्ड , क्रेडिट कार्ड , भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ -साथ नकद रूप में कराई जायेगी।
30-लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख -रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर को नियोजित करेगा।	30-लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख -रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर को नियोजित करेगा।
31-लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशांतर, अवस्थिति का चित्रण बिक्रीकर्ताओं के नाम व पता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।	31-लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशांतर, अवस्थिति का चित्रण बिक्रीकर्ताओं के नाम व पता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।
32-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।	32-लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
33-लाइसेंसधारी अपने थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिए बिक्रीकर्ताओं की सूची आबकारी आयुक्त / आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर यथाविहित फीस के संदाय के पश्चात् वह तदुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।	33-लाइसेंसधारी अपने थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिए बिक्रीकर्ताओं की सूची आबकारी आयुक्त / आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर यथाविहित फीस के संदाय के पश्चात् वह तदुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।
दिनांक:	दिनांक:
लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 1837/10-License-58/Country Liquor Wholesale Rules/2025-26

*Prayagraj, Dated : December 18, 2025***NOTIFICATION**

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of License for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002 published *vide* Excise Commissioner Notification No. 31276/X-Licence-58/2002-2003/dated March 26, 2002, namely:—

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR WHOLESALE OF COUNTRY LIQUOR) (EIGHTEENTH AMENDMENT) RULES, 2025

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licences for Wholesale of Country Liquor) (**Eighteenth** Amendment) Rules, **2025**.

(2) **They shall be deemed to have come into force with effect from 01st April, 2025.**

2. Amendment of rule-2—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002, **for the existing rule 2** setout in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:—

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time; (b) "Additional Consideration Fee" means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquor to the next higher denomination of Rs. two and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn, shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor; (c) "Company" means a Company registered under the Companies Act, 2013; (d) "Consideration fee" means a fee fixed per litre by the State Government under section 30 of the Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor;	2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context- (a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time; (b) "Additional Consideration Fee" means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquor to the next higher denomination of Rs. two and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn, shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor; (c) "Company" means a Company registered under the Companies Act, 2013; (d) "Consideration fee" means a fee fixed per litre by the State Government under section 30 of the Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor;

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(e) "Country spirit" includes country spirit manufactured from extra neutral alcohol (E.N.A.) of such alcoholic concentration as "25 percent and 36 percent (plain, flavored and spiced)" and 42.8 per cent (plain, flavored and Uttar Pradesh Manufactured Liquor (UPML) containing Masala) is also included, which will have such alcoholic concentration as may be fixed by the Excise Commissioner from time to time with the prior approval of the State Government. (f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year; (g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents; (h) "Form" means the form appended to these rules; (i) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence; (j) "Licence Fee" means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government; (k) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner; (l) "Partnership Firms" means a Firm registered under Partnership Act, 1932; (m) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution;	(e) "Country spirit" includes country spirit manufactured from extra neutral alcohol (E.N.A.) of such alcoholic concentration as 25 percent (flavored), 36 percent (spiced), 28 percent (spiced) and 42.8 percent (spiced) and Uttar Pradesh Manufactured Liquor (UPML) containing Masala) is also included, which will have such alcoholic concentration as may be fixed by the Excise Commissioner from time to time with the prior approval of the State Government. (f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the next calendar year; (g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents; (h) "Form" means the form appended to these rules; (i) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence; (j) "Licence Fee" means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government; (k) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner; (l) "Partnership Firms" means a Firm registered under Partnership Act, 1932; (m) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution;

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(n) "Security Amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate or Bank Guarantee shall be acceptable till it not is refunded. (o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence; (p) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" includes country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.	(n) "Security Amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through e-bank guarantee pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh, and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government: Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate or Bank Guarantee shall be acceptable till it not is refunded. (o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence; (p) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" includes country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.

3. Amendment of rule-4—In the said rules, for existing rule 4 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
4. Grant of licence (1)(a) The license for wholesale of country liquor shall be granted on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of license fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.	4. Grant of licence (1)(a) The license for wholesale of country liquor shall be granted on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of license fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through e-bank guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(b) The license for wholesale of Country Liquor in Form CL-2 may be renewed by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge with the prior approval of the joint Excise commissioner of the concerned zone subject to the terms and conditions prescribed by the State Government. The licensee will also have to give a notarized affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs.10/- to the effect that:- (i) he is ready to pay all the dues prescribed for the relevant year and no change has been made in the boundaries of the current premises and place of his licence; (ii) he has all the qualifications required for the said wholesale licence;and that (iii) he will operate the current license with full devotion and honesty and will not do anything that may lead to serious irregularities or cancellation of licence. In case of not following the conditions of the licence or acting contrary to the facts mentioned in the affidavit, the renewal will be cancelled and 50 percent of the security amount deposited in relevant year for the licence and the renewal and licence fee deposited for the next year will be forfeited in favor of the State Government. The licensees of wholesale licenses willing to renew for the next year shall submit the renewal application online, upload the prescribed affidavit and the No Objection Certificate issued by the concerned District Excise Officer and deposit the renewal fee amount online. Within 07 working days from the date of receipt of the application, the licensing authority or the authorized authority shall take a decision on renewal and direct the concerned interested licensee to deposit the prescribed license fee amount for the concerned license within 03 working days. The difference in the security amount may be deposited by the licensee within 15 days from the date of approval of renewal.	(b) The license for wholesale of Country Liquor in Form CL-2 may be renewed by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge with the prior approval of the joint Excise commissioner of the concerned zone subject to the terms and conditions prescribed by the State Government. The licensee will also have to give a notarized affidavit on a non-judicial stamp paper of Rs.10/- to the effect that:- (i) he is ready to pay all the dues prescribed for the relevant year and no change has been made in the boundaries of the current premises and place of his licence; (ii) he has all the qualifications required for the said wholesale licence;and that (iii) he will operate the current license with full devotion and honesty and will not do anything that may lead to serious irregularities or cancellation of licence. In case of not following the conditions of the licence or acting contrary to the facts mentioned in the affidavit, the renewal will be cancelled and 50 percent of the security amount deposited in relevant year for the licence and the renewal and licence fee deposited for the next year will be forfeited in favor of the State Government. The licensees of wholesale licenses willing to renew for the next year shall submit the renewal application online, upload the prescribed affidavit and the No Objection Certificate issued by the concerned District Excise Officer and deposit the renewal fee amount online. Within 07 working days from the date of receipt of the application, the licensing authority or the authorized authority shall take a decision on renewal and direct the concerned interested licensee to deposit the prescribed license fee amount for the concerned license within 03 working days. The difference in the security amount may be deposited by the licensee within 15 days from the date of approval of renewal.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
If the difference in the security amount is not deposited within the prescribed period, a fine of Rs.2000/- per day shall be levied. Only a period of 15 days including the fine shall be allowed for depositing the difference in the security amount and if the difference in the security amount is not deposited even within this additional period, the renewal shall be cancelled. If the licensee does not follow the procedure prescribed above or does not deposit the difference in the security amount within the allowed time or does not comply with the affidavit submitted by him, his renewal will be cancelled and 50 percent of his security for the relevant year and the renewal fee for the next year will be forfeited to the State Government. In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate/Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount. (2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.	If the difference in the security amount is not deposited within the prescribed period, a fine of Rs.2000/- per day shall be levied. Only a period of 15 days including the fine shall be allowed for depositing the difference in the security amount and if the difference in the security amount is not deposited even within this additional period, the renewal shall be cancelled. If the licensee does not follow the procedure prescribed above or does not deposit the difference in the security amount within the allowed time or does not comply with the affidavit submitted by him, his renewal will be cancelled and 50 percent of his security for the relevant year and the renewal fee for the next year will be forfeited to the State Government. In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate/Bank Guarantee shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount. (2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

4. **Amendment of rule-6**—In the said rules, for existing rule 6 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
6. Eligibility for Licence- (1) Licenses for shops of wholesale of country liquor for every district may be given to distilleries producing country liquor. (2) One or more licence for shops of wholesale of country liquor for every district may also be given to the following:	6. Eligibility for Licence- (1) Licenses for shops of wholesale of country liquor for every district may be given to distilleries producing country liquor. (2) One or more licence for shops of wholesale of country liquor for every district may also be given to the following:

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(a) A resident of India. or À partnership firm not having more than two partners who shall be citizens of India. (3) No change in partnership will be allowed after the license is granted, but if the license has been obtained by a person, then in case of his death, as per the nomination affidavit (if any) given by the licensee, the name of the partner will be changed. Names of close relatives, if not otherwise ineligible, will be considered as per the order of preference mentioned in the nomination affidavit for continuing as license holder for the remaining period of the license. Provided that in case of non-availability of nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir may continue to be the licensee for the remaining period of the license. If the license is jointly obtained by two persons, then in the event of death of one of the persons, the surviving person and the nominee or legal heir of the deceased licensee selected as above, if otherwise eligible, shall continue to be the licensee for the remaining period of the license. There will be no distinction between the legal responsibilities of both the persons and both will be jointly and severally liable.	(a) A resident of India. or À partnership firm not having more than two partners who shall be citizens of India. (3) No change in partnership will be allowed after the license is granted, but if the license has been obtained by a person, then in case of his death, as per the nomination affidavit (if any) given by the licensee, the name of the partner will be changed. Names of close relatives, if not otherwise ineligible, will be considered as per the order of preference mentioned in the nomination affidavit for continuing as license holder for the remaining period of the license. Provided that in case of non-availability of nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir may continue to be the licensee for the remaining period of the license. Provided further that the renewal of licenses for two living licensees, that have been renewed in previous years will be granted only if both licensees agree to the renewal. In the absence of such agreement, renewal will not be permissible. If the license is jointly obtained by two persons, then in the event of death of one of the persons, the surviving person and the nominee or legal heir of the deceased licensee selected as above, if otherwise eligible, shall continue to be the licensee for the remaining period of the license. There will be no distinction between the legal responsibilities of both the persons and both will be jointly and severally liable. Provided further that in case of wholesale licenses having two licensees which have been renewed since previous years, if one of the licensees dies before renewal and an application is given by his legal heir or nominee or if he is found unsuitable, then on receipt of the application, the licence will be allowed to be renewed in favour of the other surviving licensee with the condition of depositing the entire security amount of the licence for the next year by the prescribed date. At the end of the year, the security amount deposited for the previous year will be returned as per rules.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
(4) The applicant has not been a defaulter/blacklisted for the excise dues or debarred from holding and excise license under the provisions of any rules made under the Act. (5) (i) The applicant does not possess any licence for retail sale of country liquor, foreign liquor, beer and model shop in the State. (ii) Applicant shall be bearer of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer and his solvency shall not be less than the amount equivalent to the licence fee of concerned licence. (6) The applicant shall submit an affidavit duly verified by Notary public as proof of the following, namely:- (1) That he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time (II) That his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any Law or Rules; (III).That he and his family members and managers/Directors of the distillery possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs. and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence; (IV)That the applicant shall furnish a character certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district , which he is the resident showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal history;	(4) The applicant has not been a defaulter/blacklisted for the excise dues or debarred from holding and excise license under the provisions of any rules made under the Act. (5) (i) The applicant does not possess any licence for retail sale of country liquor, foreign liquor, beer and model shop in the State. (ii) Applicant shall be bearer of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer and his solvency shall not be less than the amount equivalent to the licence fee of concerned licence. (6) The applicant shall submit an affidavit duly verified by Notary public as proof of the following, namely:- (1) That he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time (II) That his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any Law or Rules; (III).That he and his family members and managers/Directors of the distillery possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs. and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence; (IV)That the applicant shall furnish a character certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district , which he is the resident showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal history;

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
(v) That he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in sub-clause-(iii) or who suffers from any infectious diseases or is below 21 years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his authorized salesman/ representative, from Excise Commissioner/ officer authorized by Excise Commissioner on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time and it is essential to produce on demand of investigation officers;	(v) That he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in sub-clause-(iii) or who suffers from any infectious diseases or is below 21 years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his authorized salesman/ representative, from Excise Commissioner/ officer authorized by Excise Commissioner on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time and it is essential to produce on demand of investigation officers;
(VI) That he is not in arrear of any Public dues or Government dues;	(VI) That he is not in arrear of any Public dues or Government dues;
(VII) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to Licensing Authority if required.	(VII) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to Licensing Authority if required.

5. Amendment of rule-7—In the said rules, for existing rule 7 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
7. Issue of licence Licences shall be in the form C.L.-2 and shall be granted district wise on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment as fixed by the State Government from time to time.	7. Issue of licence Licences shall be in the form C.L.-2 and shall be granted district wise on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through e-bank guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment as fixed by the State Government from time to time.

6. Amendment of rule-8—In the said rules, for existing rule 8 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
8. Supply of country liquor- The Licensee shall procure supplies of country liquor in bottles/tetra packs of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are licensed manufacturers of country liquor or in special case from bonded warehouse of country liquor i.e. BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.	8. Supply of country liquor- The Licensee shall procure supplies of country liquor in tetra packs of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are licensed manufacturers of country liquor or in special case from bonded warehouse of country liquor i.e. BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.

7. Amendment of form CL-2—In the said rules, for existing form CL-2 set out in Column-I below, the form as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>				
CL-2 (Licence for Wholesale vend of Country Liquor in a District) (Rule 2(e))	CL-2 (Licence for Wholesale vend of Country Liquor in a District) (Rule 2(e))				
<table><tr><td>Photo of Applicant</td><td>Photo of Co-Applicant</td></tr></table>	Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant	<table><tr><td>Photo of Applicant</td><td>Photo of Co-Applicant</td></tr></table>	Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant
Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant				
Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant				
<table><tr><td>Photo of Licensed Premises</td></tr></table>	Photo of Licensed Premises	<table><tr><td>Photo of Licensed Premises</td></tr></table>	Photo of Licensed Premises		
Photo of Licensed Premises					
Photo of Licensed Premises					

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
Latitude/Longitude of C.L.-2 premises....	Latitude/Longitude of C.L.-2 premises....
1. Licence number:	1. Licence number:
2. District:	2. District:
3. Name, Full address and Aadhar Number of the Licensee(s):	3. Name, Full address and Aadhar Number of the Licensee(s):
(i)	(i)
(ii)	(ii)
4. No. of CL-2 Licence	4. No. of CL-2 Licence
5. Licence Fee-(Rs.): in figures in words	5. Licence Fee-(Rs.): in figures in words
6. Security deposit(Rs.): in figures in words	6. Security deposit(Rs.): in figures in words
7. Location of the licensed premises:	7. Location of the licensed premises:
Locality & house number	Locality & house number
Tehsil Police station	Tehsil Police station
North	North
South	South
East	East
West	West
License for the wholesale vend of strong Country Liquor at a fixed strength of 42.8% v/v (plain, flavored and masala) in glass bottles having capacities of 100ml and 200ml, 25% and 36% v/v (plain, flavored and masala) pet bottles and tetra packs having capacities of 200ml and Uttar Pradesh made Liquor (UPML) is hereby granted to above licence holder(s), at (place) in P.S... Tehsil in the district of w.e.f. from to March 31 st , 20..... for which licence fee and security has been paid in accordance with rule-7	License for wholesale vend of strong country liquor of fixed strength of 25% (flavoured), 36% (masala) made from ENA and 28% (masala) and 42.8% (masala) of UPML made from grain ENA in tetra packs of 200 ml capacity, and Uttar Pradesh made Liquor (UPML) is hereby granted to above licence holder(s), at (place) in P.S. Tehsil in the district of w.e.f. from to March 31 st , 20..... for which licence fee and security has been paid in accordance with rule-7
The licence is subject to the following terms and conditions, the infraction of any of which or violation of the provisions of rule-16 or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the Licensee(s) liable for cancellation of the Licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalties imposed under the relevant laws.	The licence is subject to the following terms and conditions, the infraction of any of which or violation of the provisions of rule-16 or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the Licensee(s) liable for cancellation of the Licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
Terms and Conditions 1. The Licensee shall procure supplies of country liquor in pet /glass bottles/tetra packs of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are Licensed manufacturers of country liquor or in special case from Bonded warehouse of country liquor i.e, BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time. 2. The Licensee shall not charge more than the prescribed Maximum Wholesale Price of country liquor and additional licence fee as fixed by the Excise Commissioner, from the retailer. 3. The Wholesale licensee under the provisions of the licence may sell country liquor to retail licensee of the district or other districts in accordance with the provisions of sub-clause (I),(II) and (III) of rule-10. 4. Issue of country liquor to the wholesale vendor shall be under pass P.D.-25A. Computer generated passes and records of all such issues shall be maintained in the prescribed register. 5. Licensee shall enter all the indents received from the retailer including the demand of the retail licensee, date and time of the indent and quantity issued in the register prescribed by the Excise Commissioner and also upload such information on the website upexciseonline.in 6. The licensee or the authorized salesman of the licensee shall enter day to day issues of country liquor to the retailer in the prescribed sale register and also make entries in the passbook of the retailer and which shall also be uploaded online on the website of upexciseonline.in through MIS (Management Information System).	Terms and Conditions 1. The Licensee shall procure supplies of country liquor in tetra packs of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are Licensed manufacturers of country liquor or in special case from Bonded warehouse of country liquor i.e, BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time. 2. The Licensee shall not charge more than the prescribed Maximum Wholesale Price of country liquor and additional licence fee as fixed by the Excise Commissioner, from the retailer. 3. The Wholesale licensee under the provisions of the licence may sell country liquor to retail licensee of the district or other districts in accordance with the provisions of sub-clause (I),(II) and (III) of rule-10. 4. Issue of country liquor to the wholesale vendor shall be under pass P.D.-25A. Computer generated passes and records of all such issues shall be maintained in the prescribed register. 5. Licensee shall enter all the indents received from the retailer including the demand of the retail licensee, date and time of the indent and quantity issued in the register prescribed by the Excise Commissioner and also upload such information on the website upexciseonline.in 6. The licensee or the authorized salesman of the licensee shall enter day to day issues of country liquor to the retailer in the prescribed sale register and also make entries in the passbook of the retailer and which shall also be uploaded online on the website of upexciseonline.in through MIS (Management Information System).

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
7. The day-to-day account of opening balance, receipt, sale and closing balance of country liquor shall be maintained daily in the stock register. 8. The licensee shall be liable to supply the country liquor according to terms and conditions in rule-8 of rules 2002 (as amended) within 48 hours of receiving the indent, along-with the cost of country liquor inclusive of consideration fee and other taxes etc. In case the licensee fails to supply the country liquor, his security deposit shall be liable to be forfeited and the licence shall be liable for cancellation. 9. The Licensee shall maintain a shop-wise register of the daily indents received and total issues made in respect of the indents and also upload on the specified website of the Excise Department of Uttar Pradesh. 10. The licensee shall prepare and issue computer generated transport pass in triplicate in the form prescribed by the Excise Commissioner in accordance with the provisions of rule-11, in which name of the retailer, date of issue, purchased quantity and the consideration fee involved shall be entered. 11. The country liquor shall be stored in the licensed premises only. Licensee shall not extend premises without permission. 12. The licensee would only store pet/ glass bottles/ tetra packs of country liquor having security Code approved by the Excise Department, in the licensed premises and no other intoxicating liquor or drug shall be stored in the licensed premises. 13. The licensee shall not keep any unauthorized liquor or intoxicating drug in his possession.	7. The day-to-day account of opening balance, receipt, sale and closing balance of country liquor shall be maintained daily in the stock register. 8. The licensee shall be liable to supply the country liquor according to terms and conditions in rule-8 of rules 2002 (as amended) within 48 hours of receiving the indent, along-with the cost of country liquor inclusive of consideration fee and other taxes etc. In case the licensee fails to supply the country liquor, his security deposit shall be liable to be forfeited and the licence shall be liable for cancellation. 9. The Licensee shall maintain a shop-wise register of the daily indents received and total issues made in respect of the indents and also upload on the specified website of the Excise Department of Uttar Pradesh. 10. The licensee shall prepare and issue computer generated transport pass in triplicate in the form prescribed by the Excise Commissioner in accordance with the provisions of rule-11, in which name of the retailer, date of issue, purchased quantity and the consideration fee involved shall be entered. 11. The country liquor shall be stored in the licensed premises only. Licensee shall not extend premises without permission. 12. The licensee would only store tetra packs of country liquor having security Code approved by the Excise Department, in the licensed premises and no other intoxicating liquor or drug shall be stored in the licensed premises. 13. The licensee shall not keep any unauthorized liquor or intoxicating drug in his possession.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
14. Wholesale vendor is prohibited from undertaking any bottling, blending or coloring of liquor and he shall not keep any instrument for this purpose in his possession. 15. Licensee shall not tamper with the labels, capsule seals or security code affixed on the bottles kept in the licensed premises. 16. The licenced premises shall remain open for sale from 8:00AM to 8:00PM except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 02nd October (Gandhi Jayanti) 26th January (Republic Day), and any other day notified by the District Magistrate. District Magistrate can order closure of shop under relevant laws for reasons related to law and order or general elections. No compensation will be payable for closures for above mentioned reasons. 17. Licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop approved by Excise Commissioner displaying the name of the licensee, location of the licence, period of licence and such other information as prescribed by the Licensing Authority in bold letters. The signboard will also display the following information :- “Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.” 18. The licensee shall provide all possible assistance and shall produce all documents and records required by the inspecting authority. 19. The licensee shall abide by such other general or specific orders as are issued by the Excise Commissioner from time to time.	14. Wholesale vendor is prohibited from undertaking any bottling, blending or coloring of liquor and he shall not keep any instrument for this purpose in his possession. 15. Licensee shall not tamper with the labels, capsule seals or security code affixed on the bottles kept in the licensed premises. 16. The licenced premises shall remain open for sale from 8:00AM to 8:00PM except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 02nd October (Gandhi Jayanti) 26th January (Republic Day), and any other day notified by the District Magistrate. District Magistrate can order closure of shop under relevant laws for reasons related to law and order or general elections. No compensation will be payable for closures for above mentioned reasons. 17. Licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop approved by Excise Commissioner displaying the name of the licensee, location of the licence, period of licence and such other information as prescribed by the Licensing Authority in bold letters. The signboard will also display the following information :- “Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.” 18. The licensee shall provide all possible assistance and shall produce all documents and records required by the inspecting authority. 19. The licensee shall abide by such other general or specific orders as are issued by the Excise Commissioner from time to time.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
20. The licensee shall not employ any salesman below twenty-one years of age or who has criminal background or suffers from any infectious diseases or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.	20. The licensee shall not employ any salesman below twenty-one years of age or who has criminal background or suffers from any infectious diseases or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.
21. The licensee shall install active C.C.T.V. Cameras near opening gate and within godown of licensed premises which could easily be monitored from Excise Headquarters through I.P. Address.	21. The licensee shall install active C.C.T.V. Cameras near opening gate and within godown of licensed premises which could easily be monitored from Excise Headquarters through I.P. Address.
22. The licensee shall also make necessary arrangement for Security System apart from installation of fire fighting instrument in the premises of godown.	22. The licensee shall also make necessary arrangement for Security System apart from installation of fire fighting instrument in the premises of godown.
23. Consignments of country liquor from distilleries of U.P. or BWCL-1 licenses of other states settled in Uttar Pradesh other states shall be transported only through the vehicles fitted with Global Positioning system.	23. Consignments of country liquor from distilleries of U.P. or BWCL-1 licenses of other states settled in Uttar Pradesh other states shall be transported only through the vehicles fitted with Global Positioning system.
24. The licensee shall not have any licence for the retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop.	24. The licensee shall not have any licence for the retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop.
25. Shop wise, capacity and strength wise, brand wise, and packaging wise details of PET/Glass bottles and tetra packs lifted shall be uploaded on the specified portal.	25. Shop wise, capacity and strength wise, brand wise, and packaging wise details of PET/Glass bottles and tetra packs lifted shall be uploaded on the specified portal.
26. Licensee shall not provide any inducement for increasing own sale	26. Licensee shall not provide any inducement for increasing own sale
27. Indents of retail licensees shall be disposed off on first come first serve basis.	27. Indents of retail licensees shall be disposed off on first come first serve basis.
28. Licensee shall keep a minimum stock equivalent to one week requirement.	28. Licensee shall keep a minimum stock equivalent to one week requirement.

Column-I <i>(Existing rule)</i>	Column-II <i>(Rule as hereby substituted)</i>
29. Licensee shall arrange to receive payments for sale through electronic payment platforms such as debit card, credit card, BHIM, RTGS, NEFT and other similar means along with cash. 30. Licensee shall employ computer operator for maintenance of records. 31. Licensee shall be responsible for affixation of photographs, and depiction of latitude and longitude of location of the licensed premises, names and addresses of salesmen after attestation by the District Excise Officer and submission of an attested copy of the licence within a week to Excise Headquarters. 32. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premissis in sealed cartons after scanning of security code on them . 33. The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop after payment of fees as prescribed by the State Government from time to time, he will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	29. Licensee shall arrange to receive payments for sale through electronic payment platforms such as debit card, credit card, BHIM, RTGS, NEFT and other similar means along with cash. 30. Licensee shall employ computer operator for maintenance of records. 31. Licensee shall be responsible for affixation of photographs, and depiction of latitude and longitude of location of the licensed premises, names and addresses of salesmen after attestation by the District Excise Officer and submission of an attested copy of the licence within a week to Excise Headquarters. 32. Licencee shall ensure lifting of liquor from his godown premissis in sealed cartons after scanning of security code on them . 33. The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop after payment of fees as prescribed by the State Government from time to time, he will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.
Date:..... Licensing Authority EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH.	Date:..... Licensing Authority EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH.

By order,
DR. ADARSH SINGH,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.